Response of Director, Geology and Mining, U.P. lucknow in compliance of Hon'ble NGT order dated 17.10.2023 in OA No. 521 of 2022

Hon'ble Sir,

That the Joint Committee has given the following concerning recommendations:-

....."5.1 Out of 40 leases, few leases were found operational approx 500 to 600 meter, close to exiting Jargo Dam (constructed in 1958, hold 3 lakhs cusec water and only source to irrigate around 1000 acres' agricultural land), need to be re-evaluated in light of continuous blasting activity in area.

5.2 State mining department have to obtained "No Objection Certificate" from state irrigation department before grant of lease near Jargo Dam.

5.3 State Government shall constitute expert committee (Dam expert, Blasting expert etc) to assess the impact of mining and blasting activity (Blasting impact study) on the Jargo Dam and its stability, based on the finding state government may declare buffer zone, where mining etc will be completely prohibited.

5.4 Strict monitoring system can be developed including uses of drone survey etc for better compliance.

5.5 DGPS Survey agencies are not empanelled by UP-DGM, it is required to empanelled with UP-DGM.

5.6 Capacity Building of the State DGM is required for approval of mining plan documents and subsequently its monitoring.....

.....5.13 There should be a better coordination between mining department, DGMC and State PCB and a monthly/quarterly/half yearly meeting should be organized to resolve the various issues of the mining leases.

5.14 Uttar Pradesh Mining Department may review the U.P. Mines and Minerals (Concession) Regulations, 1963, amended Rule 41-A regarding "no mining operation can be carried out within 50 meter of any dam" in light of mining where, intensive blasting is involve.".....

In this regard it is humbly submitted that in respect of Joint Committee recommendation 5.2 regarding obtaining "no objection certificate" from State Irrigation D epartment, the District authority is

taking no objection certificate from Irrigation Department before grant of mining lease near Jargo Dam.

In respect of Joint Committee recommendation of 5.3 regarding constitution of an expert committee to assess the impact of mining and blasting activity on the Jargo Dam, a proposal has been sent to the State Government from the Directorate vide letter No. 1485/M-NGT vaad/2023 dated 05th December, 2023. A true copy of the letter dated 05.12.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-1.**. The State Government vide letter dated 20.12.2023 sought some clarifications. The Director, Geology & Mining vide letter dated 01.01.2024 replied to the clarification sought by the State Government. A true copy of the letter dated 01.01.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-2.**

In respect of joint committee recommendation 5.14 regarding review of Rule-41(A) of U.P. Minor Mineral (Concession) Rule-1963 as amended, the same shall be considered on the basis of report of the Expert Committee.

Date 03.01.2024

(Mala srivastava)
Director, Geology and Mining,
U.P. Lucknow.

प्रेषक, **5382** ANNEXURE NO. 1

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या 1485 /एम0–एन0जी0टी वाद/2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषय:–ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–521 वर्ष 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:–

"......The Joint Committee has also made its recommendations in the report which are reproduced as under:
Committee Recommendations:
"5.1 Out of 40 leases, few leases were found operational approx 500 to 600 meter, close to exiting jargo dam (constructed in 1958, hold 3 lakhs cusec water and only source to irrigate around 1000 acres' agricultural land), need to be re-evaluated in light of continuous blasting activity in area.
5.2 State mining department have to obtained "No Objection Certificate" from state irrigation department before grant of lease near Jargo Dam.
5.3 State Government shall constitute expert committee (Dam expert, Blasting expert etc) to assess the impact of mining and blasting activity (Blasting impact study) on the Jargo Dam and its stability, based on the finding state government may declare buffer zone, where mining etc will be completely prohibited.........
....5.14 Uttar Pradesh Mining Department may review the U.P. Mines and Minerals (Concession) Regulations, 1963, amended Rule 41-A regarding "no mining operation can be carried out within 50 meter of any dam"in light of mining where, intensive blasting is involve. ...."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 27.04.2023 के बिन्दु संख्या–5.3 के अनुपालन में जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam के स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Buffer Zone निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना है, जिसमें Dam expert, Blasting expert आदि सम्मिलित होगें। उक्त के अनुक्रम में जनपद स्तर पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (बाँध विशेषज्ञ) के अधिकारी तथा ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के रूप में CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची, झारखण्ड के द्वारा नामित अधिकारी अथवा CIMFR (Central Institute of Mining & Fuel Resrarch) मुख्यालय, धनबाद झारखण्ड अथवा खान सुरक्षा, महानिदेशालय, धनबाद, ~~झारखण्ड जिसका क्षेत्रीय~~ कार्यालय, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, वाराणसी क्षेत्र वाराणसी स्थित है, को शामिल करते हुए कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर से कमेटी गठित किये जाने हेतु विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,
05/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। o/c

Ankit Vkshukla

ANNEXURE NO-2

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या 180 /एम0 एन0जी0टी वाद/2023 दिनांक 01/01/2024

विषयः— ओ0ए0 संख्या 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या–I/452929/2023 दिनांक 20.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0ए0 संख्या–521 वर्ष 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के क्रम में जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam के स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Buffer Zone निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति के गठन हेतु उक्त शासकीय पत्र में उल्लिखित 02 बिन्दुओं पर तत्काल आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–521 वर्ष 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 में Joint Committee की संस्तुतियों का उल्लेख प्रस्तर–5 में करते हुए यह कहा गया है कि "Jargo Dam" के निकट संचालित खनन पट्टों का पुर्नमूल्यांकन सतत् ब्लास्टिंग क्रिया के आलोक में करने की आवश्यकता है। "Jargo Dam" के निकट पट्टा दिए जाने के पूर्व खनन विभाग को सिंचाई विभाग से अनापत्ति (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता है। खनन व ब्लास्टिंग क्रिया का "Jargo Dam" व उसके स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा और समिति की Finding के आधार पर राज्य सरकार Buffer Zone घोषित कर सकेगी, जहाँ खनन आदि पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा।

उपरोक्त के क्रम में यह उचित प्रतीत होता है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रश्नगत अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करा लिया जाए और समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर अग्रेतर विचार किया जाए।

बिन्दु संख्या–2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (बाँध विशेषज्ञ) के अधिकारी तथा ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के रूप में DGMS के द्वारा नामित अधिकारी को शामिल करते हुए निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है:–

1.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, मीरजापुर।	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	सदस्य

3.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मीरजापुर बाँध विशेषज्ञ के रूप में।	सदस्य
4.	ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर।	सदस्य सचिव
5.	खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद द्वारा नामित सदस्य Blasting Expert के रूप में।	सदस्य
6.	CMPDII. (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची, झारखण्ड के द्वारा नामित अधिकारी, Blasting Expert।	सदस्य

आख्या सादर प्रेषित।

~~संलग्नक यथोपरि।~~

भवदीया,
01/11/24
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। o/c